REVIEW OF RESEARCH

मध्यप्रदेश की भावान्तर भुगतान योजना का धार जिले मे क्रियान्वयन का अध्ययन

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

अंजली ठाकुर[1] , डॉ. आर.बी.गुप्ता[2]

[1]शोधार्थी , श्रीअटल बिहारी बाजपेयी , शासकिय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इन्दौर .
[2] प्राध्यापक , श्रीअटल बिहारी बाजपेयी शासकिय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इन्दौर .

सारांश:—

कृषि फसलो के निरन्तर गिरते स्तर एंव गहराते कृषि संकटो से उभरने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने किसानो के हित में एक अभिनव पहल की। किसानो को समर्थन देने वाली भावान्तर भुगतान योजना का प्रारम्भ वर्ष २०१७ में खरीफ की फसल के साथ हुआ। आठ खरीफ फसलो से प्रारम्भ हुई इस योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनूसार किसानो को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र भावान्तर भूगतान योजना का धार जिले मे क्रियान्वयन पर विभिन्न पक्षो को सामने रखता है । भावान्तर भुगतान योजना के तहत सरकार किसानो को जो आर्थिक लाभ प्रदान करना चाहती है उनमे अनेक विसंगतिया एंव चुनौतिया भी है। परन्तु इस सूविधा का अनेक किसानो को लाभ भी प्राप्त हुआ। भावान्तर भुगतान योजना में मूख्य भुमिका मण्डी और सरकार की न्यूनतम समर्थन मुल्य नीति की होती है, सरकार को न्युनतम समर्थन मुल्य के निर्धारण में किसानो कि फसलो के विभिन्न पक्षो का ध्यान रखा जाना चाहिए। व्यापारी और मण्डी पदाधिकारीयो द्वारा फसलो के अनुचित मुल्य निर्धारण पर सरकार द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए।किसानों को लागत के अनुसार फसल की राशि प्रदान करने में अनेक सरकार विफल रही हैं। परन्तु राज्य सरकार की यह योजना अनेक मायनों में महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार की योजनाओं से किसानो के आर्थिक स्तर में वृद्धि एवं अनेक तनावों के कारणों में कमी होती हैं। न्युनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण एवं विक्रय दर के निर्धारण में सरकार किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में भावान्तर भुगतान योजना से लाभान्वित किसान, किसानों का सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता स्तर एवं इन योजनाओं का लाभ लेने में रूचि आदि बातों पर अध्ययन किया गया हैं।

की—वर्ड — भावान्तर भुगतान योजना, धार।

प्रस्तावना:—

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूख्य आधार है। साथ ही भारतीय ग्रमीण जनता के आजीविका का मुख्य साधन है। वर्तमान मे ग्रमीण मजदूर आजीविका के लिए शहरो मे पलायन कर रहै है। वही ग्रमीण कृषक अपनी आजीविका के लिए कृषि पर पुर्णत: निर्भर है। भारतीय किसान और कृषि लम्बे समय तक संकटग्रस्त रहा है। परन्तु विगत कई वर्षो से केन्द्रीय सरकार एंव राज्य सरकार कृषि एंव कृषको के हित के लिए एंव कृषको कि आर्थिक स्थिती में सुधार के लिए निरन्तर नए उपाय कर रही है।विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानो को लाभ प्रदान करने का प्रयास कर रही है। पंडित जवाहर लाल नेहरू का मत था, जब तक किसान खुशहाल नही होगा, तब तक देश व समाज का पुर्ण विकास नही हो सकता। शायद इसी शब्द को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र एंव राज्य सरकार किसानो के लिए नित नई योजनाए लागु कर रही है। किसानो को समृध्द बनाने हेतु मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष २०१७ में न्युनतम समर्थन मुल्य वाली भावान्तर भुगतान योजना लागू कि जिसका लाभ मध्यप्रदेश के समस्त किसानो को प्राप्त हो रहा है। मध्यप्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, जिसे विगत तीन वर्षो में तीन बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है,ने किसानो के लिए भावान्तर भुगतान योजना का प्रतिपादन किया। किसानो कि आय

मे वृध्दि एंव कृषि उत्पादकता मे वृध्दि के लिए मध्यप्रदेश सरकार की यह पायलट योजना आठ फसलो के लिए लागु है। **तिलहन फसले** — सोयाबीन, मुंगफली, तिल, रामतिल, **खाद्यान फसले**— मक्का **दलहनी फसले**— मुंग, उड़द और तुअर। भावान्तर भुगतान योजना के ई—पोर्टल द्वारा समस्त जानकारी आनलाईन उपलब्ध करवाई जाती है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :—

१. भावान्तर भुगतान योजना का धार जिले में क्रियान्वयन का अध्ययन करना।
२. भावान्तर भुगतान योजना से लाभान्वित किसानों के आर्थिक स्तर में वृद्वि का अध्ययन करना।
३. भावान्तर भुगतान योजना में किसानो की जागरूकता एंव रूचि का अध्ययन करना।

शोध विधि:—

शोध अध्ययन में निदर्शन पद्धति के आधार पर संकलित प्राथमिक व द्वितियक समंको का उपयोग किया गया हैं। प्राथमिक समंको को संकलित करने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। नमूने के रूप मे १५० किसानो से जानकारी एकत्रित कि गई। द्वितियक समंको की जानकारी धार कृषि केन्द्र, जिला सहकारी

केन्द्रीय बैंक, किसान सोसाइटी समाचार पत्र आदि के द्वारा प्राप्त की गई। समंको के संकलन के पश्चात् निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए सम्पादन कार्य किया गया।संमको का वर्ग्रीकरण सारणीयन करके प्रतिशत ज्ञात कर निष्कर्ष प्राप्त किए गए है

भावान्तर भुगतान योजना :—

भावान्तर भुगतान योजना मध्यप्रदेश द्वारा किसानों के हित में क्रियान्वित एक महत्वपूर्ण और लाभदायक योजना है। प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य शासन द्वारा खरीफ २०१७ के लिए समर्थन मूल्य तथा किसानों के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिती में विक्रय किये जाने पर राज्य शासन द्वारा निश्चित प्रकिया अपनाकर घोषित माडल विक्रय दर के अन्तर की राशि को भावान्तर भुगतान योजना के अन्तर्गत किसानों को प्रदान किया जाता है। प्रथम बार इस योजना को राज्य में १ सितम्बर २०१७ से लागू किया गया है। इस योजना कें लाभ हेतु किसानों को निर्धारित मण्डियों में अनाज बेचना होता है तथा निश्चित प्रक्रिया का पालन कर ई—पंजीयन करवाना होता है।

भावान्तर भुगतान योजना के उद्देश्य —

१. किसानों को अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना।
२. मण्डी भावो में गिरावट के कारण किसानों फसलों के उचित मूल्य हेतू सुरक्षाकवच प्रदान करना।
३. तिलहन ओर दलहन फसलों के उत्पादन में वृध्दि हेतु।
४. सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदनें तथा उसके डिस्पोजल में आने वाली हानियों से बचने हेतु।

भावान्तर भुगतान योजना का लाभ उन किसानों को प्राप्त होता है, जो निम्न प्रक्रिया का पालन करते है —

१. मध्यप्रदेश का किसान हो ।
२. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलें।
३. "भावान्तर भुगतान योजना पोर्टल" पर पंजीयन करने वाले किसान को।
४. राज्य सरकार द्वारा अधिसुचित कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण मे विक्रय करने पर।
५. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि मे फसल का विक्रय करने पर
६. जिले की औसत उत्पादकता की निश्चित सीमा तक विक्रय की गई फसल पर देय।भावान्तर भुगतान योजना मे निम्नलिखित फसलों को शामिल किया
गया है। तथा राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार से खरीदी समय निर्धारित किया गया है—

योजना में शामिल फसलें

क्र.	फसल	खरीदी फसल	माड्ल विक्य दर गणना हेतु दो अन्य राज्य
तिलहन फसलें			
१.	सोयाबीन	१६ अक्टुबर से १५ दिसम्बर तक	महाराष्ट्र,राजस्थान।
२.	मुंगफली	१६ अक्टुबर से १५ दिसम्बर तक	गुजरात,राजस्थान।
३.	तिल	१६ अक्टुबर से १५ दिसम्बर तक	उड़ीसा, छत्तीसगढ़।
४.	रामतिल	१६ अक्टुबर से १५ दिसम्बर तक	पश्चिम बंगाल,राजस्थान।
खाद्यान फसले			
५.	मक्का	१६ अक्टुबर से १५ दिसम्बर तक	कर्नाटक महाराष्ट्र।
दलहनी फसले			
६.	मुंग	१६ अक्टुबर से १५ दिसम्बर तक	महाराष्ट्र,राजस्थान।
७.	उड़द	१६ अक्टुबर से १५ दिसम्बर तक	राजस्थान उत्तरप्रदेश।
८.	तुअर	१ फरवरी से ३० अप्रेल	महाराष्ट्र गुजरात।

(मध्यप्रदेश कृषि पोर्टल की जानकारी के अनुसार)

भावान्तर भुगतान योजना के अन्तर्गत तैयार पोर्टल पर नि:शुल्क पंजीयन करवाकर किसानो को अपना आधार क्रमाक बैंक खाता क्रमाक तथा मोबाइल नम्बर आदि कि जानकारी अपडेट करना होती है। पंजीयन के उपरान्त किसानो को पोर्टल द्वारा युनिक आइडी पंजीयन क्रंमाक दिया जाता है।"माडल" विक्रय दर आनूपातिक औसत भाव की गणना निम्न प्रकार की जाती है।

- यदि विक्रय दर न्युनतम समर्थन मूल्य से अधिक या उसके बराबर प्राप्त होती है, तो इस योजना का लाभ प्राप्त नही होता है।
- यदि विक्रय दर न्युनतम समर्थन मूल्य से कम पर माडल विक्रय दर से अधिक हो तो न्युनतम समर्थन मूल्य किसान के वास्तविक विक्रय मुल्य के अन्तर की राशि देय होगी।
- यदि विक्रय दर मॉडल विक्रय दर से कम हो तो न्युनतम समर्थन मूल्य तथा माडल विक्रय दर के अन्तर की राशी देय होगी।

उदाहरणत:—

१. मुंगफली का समर्थन मूल्य ३१०० रू प्रति क्विंटल मॉडल विक्रय दर २५५० प्रति क्विंटल यदि किसान द्वारा फसल ३१०० से अधिक पर बेची जाती हैं, तो इस योजना का लाभ प्राप्त नही होगा।

२.यदि किसान द्वारा फसल २७००रू. प्रति क्विंटल की दर पर बेची जाती हैं। योजना के तहत भुगतान राशि निम्न होगी,

३१००—२७००=४०० रू. प्राति क्विंटल आदि।

उपरोक्त समस्त जानकारी की व्यवस्था मण्डी पोर्टल पर एंव आवश्यक जानकारी भावान्तर भुगतान योजना के पोर्टल पर भी होगी।

मध्यप्रदेश के धार जिले मे भावान्तर भुगतान योजना:—

मध्यप्रदेश भारत के मध्य में स्थित एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है, जिसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योकिं यहा सोयाबीन प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली फसल है। यहां कि ग्रमीण जनसंख्या ५२५३७८९९ है। जिसमे से १ करोड़ १० लाख किसान है। मध्यप्रदेश का एक प्रमूख कृषि प्रधान जिला धार है। भावान्तर भुगतान योजना का क्रियान्वयन सम्पूर्ण प्रदेश के साथ धार जिले मे भी हूआ हैं। यहा मूख्यत: सोयाबीन कि फसल के लिए इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा किसानो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य २०१७–१८ मे निम्न प्रकार थे–

फसल	न्यूनतम मूल्य
सोयाबिन	३०५०/–
तिल्ली	५३००/–
मुंगफली	४२५०/–
ज्वार	१७२५/–
बाजरा	१४२५/–
मक्का	१४२५/–
मुंग	५३७५/–

सम्पूर्ण प्रदेश में एंव जिले के लिए न्युनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण मध्यप्रदेश किसान उत्पादन लागत और विपणन आयोग द्वारा किया जाता हैं। वर्ष २०१७–२०१८ में इस योजना के तहत रू.१६७६ करोड़ विभिन्न फसलों के लिए शासन द्वारा जिले के किसानों के खातें मे डाले गए। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सोयाबीन के लिए कुल १० लाख ५९ हजार किसान सोयाबीन के लिए, १३७०० किसान मुंग के लिए १.१३ लाख किसान तुअर के लिए ६.१५ लाख उड़द के लिए तथा २.९९ लाख किसान ज्वार के लिए पंजीकृत हुए तथा धार जिले मे इस योजना के लिए २०१८ मे कुल ५६ हजार ५२३ किसानो ने पंजीयन करवाया।

निष्कर्ष एंव निर्वचन:–

१. भावान्तर भुगतान योजना का सफल कियान्वयन धार जिले में हुआ हैं :–

क्र.		हॉ	नही	कुल
१.	न्युनतम समर्थन मुल्य की जानकारी	१०७	४३	१५०
२.	भावान्तर भुगतान योजना में पजींयन	९५	६५	१५०
३.	भावान्तर भुगतान योजना का लाभ प्राप्त करने वाले किसान	६१	३४	९५

व्यक्तिगत सर्वे द्वारा प्राप्त जानकारी

उक्त तालिका के अनुसार लगभग ७१ प्रतिशत किसानो को न्युनतम समर्थन मुल्य की जानकारी है। तथा २९ प्रतिशत किसानो को इसकी जानकारी नही है। ६३ प्रतिशत किसानो ने इस योजना में पंजीयन करवाया हे। तथा ३७ प्रतिशत किसानो इस योजना में पंजीयन नही करवाया हे। पंजीयन नही करवाने का कारण नियत तिथी की जानकारी नही होना या योजना की जानाकारी नही होना है। कुछ किसान इस योजना में रूचि नही लेते है। पजींयन करवाने किसानो मे ६५ प्रतिशत किसानो को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ।

२. भावान्तर भुगतान योजना से किसानो कि आर्थिक स्थिति में वृध्दि हुई हैं। तथा यह योजना किसानो के लिए लाभदायक है।

	हॉ	नही	कुल
भावान्तर भुगतान योजना किसानो के लिए लाभदायक है।	७८	७२	१५०

भावान्तर भुगतान योजना एवं इस प्रकार कि अन्य योजनाएँ किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लागू कि जाती है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ५२ प्रतिशत किसानो ने इस योजना को लाभदायक माना है बशर्ते इनका समय पर सफल क्रियान्वयन हो। ४८ प्रतिशत किसानो ने माना है कि यह योजना किसानो के आर्थिक स्तर में वृध्दि के लिए लाभदायक नही है। क्योकि इनका समय पर सफल क्रियान्वयन नही होता एंव पर्याप्त राशि प्राप्त नही होती। अधिकांश किसान उचित मूल्य प्राप्त नही होने एंव मण्डियो कि अनियमितता के कारण इस योजना मे रूचि नही लेते है।

सुझाव :—

भावान्तर भुगतान योजना मध्यप्रदेश के किसानो के लिये महत्वपूर्ण योजना है। परन्तु इसमे कई परिवर्तन आवश्यक है। इस योजना मे केवल ८ फसले सम्मिलित की गई ,परन्तु कई किसान ऐसे है जो इन फसलो के अतिरिक्त अन्य फसलो का उत्पादन करते है। उन्हे इस योजना का लाभ देने के लिए और फसलो को सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

किसानो कि एक महत्वपूर्ण समस्या राशि के भुगतान मे देरी होना है इस प्रकार कि व्यवस्था की जानी चाहिए कि राशि का भुगतान शीघ्र हो सके। अन्य समस्या मे मण्डिया समर्थन मूल्य लागु होने पर फसल का मूल्य कम कर देती है। जिससे किसानो को अधिक लाभ प्राप्त नही होता है। अनेक किसान दो वर्ष पश्चात भी इस योजना से अवगत नही है। अत: इस योजना के लिए किसान जागरूकता सम्मेलन आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। अनेक किसान कई बार गलत डाक्यूमेंटेशन कर देते हैं जैसे:— आधार नम्बर गलत डालना या बैंक खाता नम्बर गलत डालना जिससे वे वंचित हो जाते हैं। उन्हे अन्य मौका दिया जाना चाहिए। तथा पंजीयन प्रकिया में सरलता होनी चाहिए।फसलो का समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय बीज के गुणवत्ता स्तर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे किसानों को बीज की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य प्राप्त हों, इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष खरीदी एवं भुगतान विधि ज्यादा कारगर साबित हो सकती हैं।

उपसंहार :—

किसानो को क्षतिपूर्ति के रूप में फसल राशि में कमी का भुगतान करना किसानों के लिए आकर्षक एवं रूचिकर योजना हैं। जब किसानों कों बाजार में फसलों का मूल्य न्युनतम समर्थन मूल्य से कम होने पर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता हैं। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित यह पायलट योजना वर्तमान में कई सुधार चाहती है। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि प्रारम्भ मे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान आतुर थे। परन्तु कई किसान इस योजना की अनेक बाधाओ के कारण इसमे रूचि नही लेते। यह योजना किसानो कि लिए अल्पकालीन लाभ के लिए ठीक है। परन्तु भविष्य में किसानो की सुदृढ़ता के लिए अत्यंत उपयोगी नही है।

परन्तु किसानो के हित मे अनेक योजनाओ का क्रियान्वयन यह दर्शाता है कि किसान राष्ट्र व समाज का अहम हिस्सा है। प्रत्येक किसान तक इन योजनाओ का लाभ पहुँचाना जटिल परन्तु महत्वपुर्ण है। किसानो को उनके द्वारा उगाई जाने वाली प्रत्येक फसल का पुर्ण लाभ प्रदान

करना सरकार का दायित्व है।जिले में किसानो की अनेक फसलो की संलिप्तता तथा पर्याप्त जागरूकता आवश्यक है। इस प्रकार की पायलट योजनाओ के द्वारा किसानो की आर्थिक वृध्दि महत्वपुर्ण है। जिनसे किसानो को वास्तविक स्तर पर लाभ प्राप्त हो ।

सन्दर्भ ग्रन्थ

१.गुलाटी अशोक ,चटर्जी तीर्था ,हुसेन सिराज, (२०१८) भारतीय किसानों को समर्थन मूल्य और प्रत्यक्ष आय और विनियोग समर्थन।
२.किसान समाचार (मध्यप्रदेश) २०१७—१८
३.किसान मार्गदर्शिका कृषि योजनाओं व कार्यक्रम किसान तथा कृषि विकास विभाग (मध्यप्रदेश)

वेबसाइट :—

1.www.mpkrishi.com
2. www.academia.edu
3. www.deepawali.com.in

4. agmarknet portal.
5. Krishak jagat website

LBP PUBLICATION